23-12-19 – पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी [illegible]
है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 27-12-19 को पेश हो।

आदेश से

24-12-19

पत्रावली पर दोनों उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित स्थगन प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गयी। तहसीलदार आसींद के प्रकरण संख्या 53/2013 निर्णय दिनांक 16-6-2014 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाकर उक्त निर्णय पर स्थगन चाहा गया। ग्राम आसींद के आराजी 3400 रकबा 0-53 हे. किस्म गैर मु. सड़क में से 58 कनाल 7 मार्ला से बेदखली आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी ने उक्त आराजी खाबेज आ.नं. 526 जो बन्दोबस्त में 1968 में बापी पट्टे से खण्ड मसलाह विह कुनामल स्थापित नि. आसींद को प्रदान करना अपील मेमो में अंकित किया है। उक्त हल्फे का रेकर्ड व दस्तावेजों के दौरान के आधार पर गुणावगुण पर सक्षम अपील का निस्तारण किया जाकर स्थगन प्रार्थनापत्र पर इसी स्तर पर कार्यवाही रोक की जाती है। प्रकरण मूल अपील के साथ संलग्न करे नम्बर से कार्य करें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा